रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3730] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2019/कार्तिक 29, 1941
No. 3730] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/KARTIKA 29, 1941

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2019

का.आ. 4154(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2165(अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2010 और का.आ. 2528(अ), दिनांक 12 जुलाई, 2019 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा जम्मू में टाडा/पोटा के तहत न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]
पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2019

S.O. 4154 (E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2165 (E), dated the 1st September, 2010 and S.O. 2528 (E), dated the 12th July, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Jammu & Kashmir, hereby designates the Court under TADA/POTA at Jammu as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the Union Territory of Jammu & Kashmir.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2019

का.आ. 4155(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 1455(अ), दिनांक 25 जून, 2011 और का.आ. 2079(अ), दिनांक 24 मई, 2018 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा सत्र न्यायालय, देहरादून को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे उत्तराखंड राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2019

S.O. 4155(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1455 (E), dated the 25th June, 2011 and S.O. 2079 (E), dated the 24th May, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, hereby designates the Court of Session, Dehradun, as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Uttarakhand.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.21 16:06:09 +05'30'